

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-400/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

इलियास गुड़िया.....आवेदक/ विक्रेता
बनाम
फुलकेरिया तोपनो.....विपक्षी/ क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
04.12.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इलियास गुड़िया पिता/पति स्व० नवीन गुड़िया ग्राम-कमड़ा, अम्बा टोली, थाना-तपकारा, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="172 965 1316 1079"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कमड़ा</td> <td>69</td> <td>122</td> <td>3127</td> <td>0.06</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इलियास गुड़िया पिता/पति स्व० नवीन गुड़िया ग्राम-कमड़ा, अम्बा टोली, थाना-तपकारा, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती फुलेकेरिया तोपनो पिता/पति सेवेयान कन्दुलना ग्राम-कमड़ा, थाना-तपकारा, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0677817131 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 646 दिनांक 08.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम दाऊद मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी ॥ रैयतों में से एक नवीणा गुड़िया के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 98 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कमड़ा	69	122	3127	0.06	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
कमड़ा	69	122	3127	0.06								

हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 212 दिनांक 10.11.2023 के साथ उपायुक्त, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2017/256459 दिनांक 01.04.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2017/275686 दिनांक 02.05.2017 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 646 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इलियास गुड़िया पिता/पति स्व० नवीन गुड़िया ग्राम-कमड़ा, अम्बा टोली, थाना-तपकारा, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती फुलेकेरिया तोपनो पिता/पति सेवेयान कन्दुलना ग्राम-कमड़ा, थाना-तपकारा, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कमड़ा के खाता सं० 122 खेसरा संख्या 3127 रकबा 0.06 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।